न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः—2020/00201 दर्ज तिथिः—22.10.2020

1. जगदीश पुत्र धनाराम
जाति प्रजापति निवासी कुम्हारों की बेरी,पटवार हल्का कोजा,तहसील धोरीमन्ना

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार धोरीमना
2. भंवरलााल पुत्र धनाराम
3. भगवानाराम पुत्र धनाराम
4. हेमी पत्नी धनाराम
जाति प्रजापति निवासी कुम्हारों की बेरी,पटवार हल्का कोजा,तहसील धोरीमन्ना

.................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री ओमप्रकाश विश्नोई
अप्रार्थीगणः—एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—28.03.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131,136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया [illegible] मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी 148/2/1.5297 है0, 199/4/2.5252 है0 [illegible] कुम्हारों की बेरी,पटवार हल्का कोजा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वर्णित हाल खसरा [illegible] रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072—2075 में प्रार्थी का नाम जगमालराम पुत्र धनाराम अंकित हो गया जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात् व आईडी व अन्य रिकॉर्ड प्रार्थी का सही नाम जगदीश पुत्र धनाराम दर्ज है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2072—2075 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:07 IST
Reason: SelfAttested

SDO धोरीमन्ना

किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम जगदीश पुत्र धनाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद विधिवत तामिल अप्रार्थीगण अनुपस्थित लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में जगदीश पुत्र धनाराम के स्थान पर जगमालराम पुत्र धनाराम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हाल राजस्व रिकॉर्ड में जगमालराम पुत्र धनाराम दुरूस्त कर सही नाम जगदीश पुत्र धनाराम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2072—2075 वाके ग्राम कुम्हारों की बेरी पटवार हल्का कोजा के नवीन खाता संख्या 20 का विवरण निम्न प्रकार हैः—

खातेदार	हिस्सा	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
जगमालराम पि. धनाराम	1/4	148/2 मौजा कुम्हारों की बेरी 199/4 मौजा कुम्हारों की बेरी	1.5297 है0 2.5252 है0

5. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार हैः—

दस्तावेज का विवरण	नाम
जनाधार कार्ड	जगदीश पुत्र धनाराम
राशन कार्ड	जगदीश पुत्र धनाराम प्रजापति
आधार कार्ड	जगदीश पुत्र धनाराम प्रजापति
बैंक डायरी	जगदीश पुत्र धनाराम प्रजापति

6. प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार है:—

1. जगमालराम पुत्र धनाराम व जगदीश पुत्र धनाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है।

2. प्रार्थी का जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड,बैंक डायरी आदि में नाम जगदीश पुत्र धनाराम अंकित है तथा प्रार्थी को जगदीश पुत्र धनाराम से ही जाना जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

7. उक्त विश्लेषण के अनुसार मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 03.03.2025 अनुसार जगमालाराम पुत्र धनाराम व जगदीश पुत्र धनाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। वर्तमान में प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों में नाम जगदीश पुत्र धनाराम अंकित है। अतः प्रार्थी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यदित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज **जगमालराम पुत्र धनाराम** को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट **जगदीश पुत्र धनाराम** अंकन करने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे। तहसीलदार धोरीमन्ना की मौका रिपोर्ट दिनांक 03.03.2025 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 28.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

28/3/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:24:07 IST
Reason: SelfAttested